अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.

सं0 9/2015-सेवा कर

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 96क के खंड (ख) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवासी फर्म" को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों से,-

(क) "फर्म" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें भागीदार के रूप में कोई कंपनी न हो; या

(iii) एकल स्वामित्व; या

(iv) एक व्यक्ति वाली कंपनी।

(ख) (i) "एकल स्वामित्व" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो खुद को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के उप-खंड (क) में यथा परिभाषित किसी गतिविधि में संलग्न करता है।

(ii) "एक व्यक्ति वाली कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (62) में उसका है ।

(ग) "निवासी" जहां तक वह किसी निवासी फर्म को लागू होता है, का वही अर्थ होगा, जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (42) में है ।

[फा. सं.334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार